



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 आश्विन, 1942 (श०)

संख्या-492 राँची, सोमवार,

27 सितम्बर, 2021 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2021

संख्या: 03नि0/पं0-148/2021 रा0नि0आ0 1010..त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए निर्वाचन की शुद्धता सुनिश्चित करने तथा ऐसे निर्वाचनों के उचित एवं दक्षतापूर्ण रीति से संचालन के हित में भारत का संविधान का अनुच्छेद 243K तथा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 66 द्वारा झारखण्ड राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2001 के नियम-44 के प्रावधानानुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के निर्वाचन के निमित्त निर्वाचन प्रतीकों की विशिष्टता तथा आवंटन के लिए निम्नलिखित आदेश देता है :-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ :-

- (क) यह आदेश "निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश, 2021" कहा जाएगा।
- (ख) यह झारखण्ड राज्य के सम्पूर्ण त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन में लागू होगा।
- (ग) यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ एवं व्याख्या:-

- (क) जब तक संदर्भ अथवा प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो इस आदेश में "आयोग" से अभिप्रेत है, झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (यथा संशोधित) की धारा 66(1) में उल्लिखित राज्य निर्वाचन आयोग ;
- (ख) "त्रिस्तरीय पंचायत निकाय" से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्;
- (ग) "निर्वाचन क्षेत्र" से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, मुखिया का निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समितियों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र;
- (घ) "सविरोध निर्वाचन" से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, मुखिया का निर्वाचन क्षेत्र, पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र एवं जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन जहाँ मतदान आवश्यक हो;
- (ङ) "निर्वाचन" से अभिप्रेत है, निर्वाचन जिसके लिए यह निर्वाचन प्रतीक आवंटन आदेश लागू होगा;
- (च) "कंडिका" से अभिप्रेत है इस आदेश की कंडिका;
- (छ) "राज्य" से अभिप्रेत है सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य;
- (ज) "मुक्त निर्वाचन प्रतीक" से अभिप्रेत है, वे निर्वाचन प्रतीक जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीक तथा जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किसी निबंधित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य दल के लिए सुरक्षित न हो।

3. निर्वाचन प्रतीक का वर्गीकरण :-

इस आदेश के अधीन निर्वाचन प्रतीक पाँच प्रकार के होंगे यथा,

- (क) जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्य हेतु कर्णांकित 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीक।
- (ख) पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्य हेतु कर्णांकित 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीक।
- (ग) मुखिया पद के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्य हेतु कर्णांकित 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीक।
- (घ) ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्य हेतु कर्णांकित 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीक।
- (ङ) सुरक्षित मुक्त निर्वाचन प्रतीक :- जिला परिषद् के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के अभ्यर्थियों, पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के अभ्यर्थियों, मुखिया पद के अभ्यर्थियों एवं ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के अभ्यर्थियों को उप-कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में यथानिर्धारित निर्वाचन प्रतीक के समाप्त हो जाने पर उन्हें आवंटित किये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस कार्य हेतु कर्णांकित 'सुरक्षित' निर्वाचन प्रतीक। इन सुरक्षित मुक्त प्रतीकों का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायत निकायों के सभी पदों के लिए होगा।

4. निर्वाचन प्रतीक का आवंटन :-

- (क) पंचायतों के प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में इस आदेश के अधीन निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा किसी निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के सदस्य/मुखिया/पंचायत समिति के सदस्य/जिला परिषद के सदस्य के प्रत्येक पद के लिए निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अलग-अलग यथाविनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों में से कोई एक प्रतीक आवंटित किए जायेंगे।
- (ख) प्रपत्र-9 में देवनागरी लिपि में वर्ण क्रमानुसार तैयार की गयी पदवार सूची में अभ्यर्थियों के नामों के क्रमांक के अनुसार यथास्थिति परिशिष्ट-क, ख, ग एवं घ में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची में से क्रमानुसार (एक के बाद एक) निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। अर्थात् प्रपत्र-9 में अंकित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के क्रमांक-1 के अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची का क्रमांक-1 का निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा। इसी प्रकार अभ्यर्थियों की सूची के क्रमांक-2 को निर्वाचन प्रतीकों की सूची के क्रमांक-2 एवं इसी प्रकार अन्य क्रमांक के अनुसार क्रमशः निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की संख्या से अधिक हो जाय तो उक्त निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले शेष अभ्यर्थियों को परिशिष्ट-ड में विनिर्दिष्ट सुरक्षित निर्वाचन प्रतीकों में से क्रमानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जाएगा।

5. जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीक (अनुकृति परिशिष्ट-क में संलग्न) :-

1.	एअरकंडीस्नर	13.	चपाती रोलर
2.	ऑटो-रिक्शा	14.	चिमनी
3.	चूड़ियाँ	15.	नारियल फार्म
4.	बैटरी टार्च	16.	कम्प्यूटर माउस
5.	बेन्च	17.	घन
6.	बिस्कुट	18.	हीरा
7.	बक्सा	19.	डोली
8.	ईंटें	20.	ड्रिल मशीन
9.	बाल्टी	21.	बिजली का खंभा
10.	कैमरा	22.	बाँसुरी

11.	कार्पेट	23.	फव्वारा
12.	सीसीटीवी कैमरा	24.	कीप

6. पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीक (अनुकृति परिशिष्ट-ख में संलग्न) :-

1.	अलमारी	13.	चप्पलें
2.	बेबी वॉकर	14.	चिमटी
3.	बल्ला	15.	कलर ट्रे और ब्रुश
4.	मोतियों का हार	16.	चारपाई
5.	साइकिल पम्प	17.	कप और प्लेट
6.	ब्लैक बोर्ड	18.	डीजल पम्प
7.	डबल रोटी	19.	द्वार घंटी
8.	ब्रीफकेस	20.	डम्बल्स
9.	केक	21.	लिफाफा
10.	कैन	22.	फुटबॉल
11.	कैरम बोर्ड	23.	फ्राक
12.	जंजीर	24.	गन्ना किसान

7. ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीक (अनुकृति परिशिष्ट-ग में संलग्न) :-

1.	सेब	13.	शतरंज बोर्ड
2.	गुब्बारा	14.	कोट
3.	बल्लेबाज	15.	कम्प्यूटर
4.	बेल्ट	16.	क्रेन
5.	दूरबीन	17.	कटिंग प्लायर
6.	आदमी व पाल	18.	डिश एंटीना

	युक्त नौका		
7.	ब्रेड टोस्टर	19.	दरवाजे का हैंडल
8.	ब्रुश	20.	कान का बालियाँ
9.	कैल्क्यूलेटर	21.	एक्सटेंशन बोर्ड
10.	शिमला मिर्च	22.	फुटबॉल खिलाड़ी
11.	फूलगोभी	23.	फ्राइंग पैन
12.	चक्की	24.	गैस सिलेण्डर

8. ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य के लिए
'मुक्त' निर्वाचन प्रतीक (अनुकृति परिशिष्ट-घ में संलग्न) :-

1.	गैस का चूल्हा	13.	कड़ाही
2.	काँच का गिलास	14.	नाशपाती
3.	हरी मिर्च	15.	कलम की निब सात किरणों के साथ
4.	टोप	16.	पेन्सिल शार्पनर
5.	हेलमेट	17.	पेट्रोल पम्प
6.	आइस क्रीम	18.	अनानास
7.	कटहल	19.	प्लेट स्टैण्ड
8.	भिंडी	20.	पंचिंग मशीन
9.	कुन्डी	21.	अंगुठी
10.	लूडो	22.	रूम कूलर
11.	माचिस की डिब्बी	23.	सेपटी पिन
12.	नेल कटर	24.	कैंची

9. सुरक्षित मुक्त निर्वाचन प्रतीक जिनका आवंटन उपर्युक्त पदों के लिए आरक्षित निर्वाचन प्रतीकों के पद के अनुसार आवंटन में कम होने की स्थिति में किया जायेगा (अनुकृति परिशिष्ट-ड में संलग्न) :-

1.	उपहार	13.	पैंट
2.	ग्रामोफोन	14.	मटर
3.	हाथ गाड़ी	15.	पैन-स्टैण्ड
4.	हेडफोन	16.	पेन्डुलम
5.	हाकी और बाल	17.	फोन चार्जर
6.	पानी गरम करने की रॉड	18.	करनी
7.	केतली	19.	हान्डी
8.	लेडी पर्स	20.	रेजर
9.	लैटर बाक्स	21.	रोड रोलर
10.	लन्च बॉक्स	22.	रूम हीटर
11.	माईक	23.	आरी
12.	गले की टाई	24.	सिलाई की मशीन

10. निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन में भूल या गलती :-

- (क) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक अंतिम होगा और बिना आयोग के पूर्वानुमोदन के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को आवंटित निर्वाचन प्रतीक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (ख) निर्वाचन प्रतीक आवंटन करने के पश्चात् यथानिर्धारित परिशिष्ट-क, ख, ग, घ एवं ङ में संलग्न अनुकृति के अनुसार आवंटित निर्वाचन प्रतीक की अनुकृति निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यथास्थिति जिला परिषद के सदस्य/पंचायत समिति के सदस्य/मुखिया/ग्राम पंचायत के सदस्य के अभ्यर्थी को तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी तथा इसकी पावती प्राप्त की जाएगी।
- (ग) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किया गया निर्वाचन प्रतीक आवंटन यदि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश से असंगत होगा तो ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग सभी तथ्यों की पर्याप्त जाँच परख कर, जैसा वह उचित समझे, निर्वाची पदाधिकारी द्वारा किए गए निर्वाचन प्रतीक आवंटन का पुनरीक्षण कर सकता है।

(घ) राज्य निर्वाचन आयोग अपने निदेश के अधीन किसी भी स्तर पर अभ्यर्थियों को आवंटित प्रतीक में संशोधन, परिवर्द्धन तथा विलोपन अथवा इससे इतर आदेश निर्गत कर सकेगा। यदि निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित प्रतीक में संशोधन, परिवर्द्धन तथा विलोपन किया जाता है, तो ऐसे संशोधित निर्वाचन प्रतीकों का पुनः प्रकाशन, यथास्थिति प्रपत्र-9 में किया जाएगा, जिसकी प्रतियाँ उस निर्वाचन/प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी।

11. राज्य निर्वाचन आयोग को इस निमित्त निर्देश निर्गत करने की शक्ति :-

इस आदेश के निमित्त आयोग आवश्यकतानुसार निम्न बिन्दुओं पर निर्देश निर्गत कर सकता है :-

- (क) इस आदेश के किसी उपबन्ध के स्पष्टीकरण के लिए निर्देश,
- (ख) इस आदेश में उत्पन्न किसी दुविधा अथवा कठिनाई को दूर करने एवं आदेश के कार्यान्वयन में बाधा को हटाने के लिए निर्देश तथा
- (ग) निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन जो इस आदेश के अन्तर्गत आते हैं को निष्पादित करने के लिए निर्देश ताकि त्रिस्तरीय पंचायत निकायों का निर्वाचन सुगमतापूर्वक सम्पन्न कराया जा सके।

12. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या 2105 दिनांक 20.08.2015 को अवक्रमित किया जाता है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

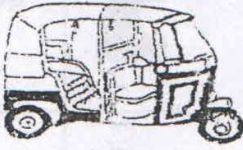
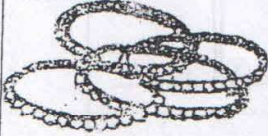
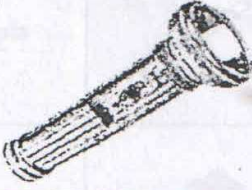
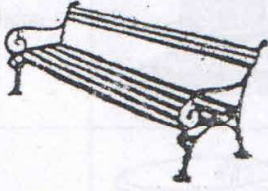
राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह0 / -(अस्पष्ट),

संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

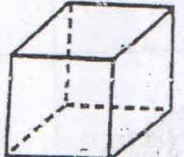
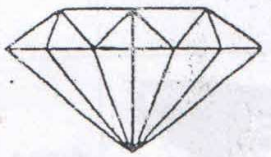
परिशिष्ट-क

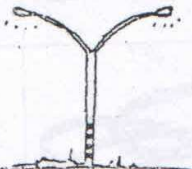
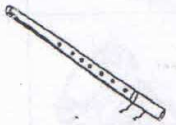
जिला परिषद के सदस्य के लिए 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक	क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
1.		एअरकंडीस्नर	7.		बक्सा
2.		ऑटो-रिक्शा	8.		ईंटें
3.		घड़ियाँ	9.		बाल्टी
4.		बैटरी टार्च	10.		कैमरा
5.		बेन्च	11.		कार्पेट
6.		बिस्कुट	12.		सीसीटीवी कैमरा

परिशिष्ट-क

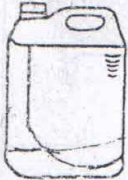
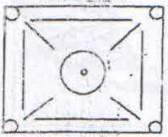
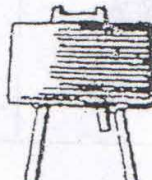
जिला परिषद के सदस्य के लिए 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
13.		चपाती रोलर
14.		चिमनी
15.		नारियल फार्म
16.		कम्प्यूटर माउस
17.		घन
18.		हीरा

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
19.		डोली
20.		ड्रिल मशीन
21.		बिजली का खंभा
22.		बाँसुरी
23.		फव्वारा
24.		कीप

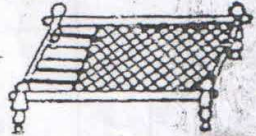
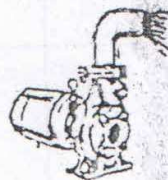
परिशिष्ट-ख

पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के लिए
'मुक्त' निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक	क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
1.		अलमारी	7.		डबल रोटी
2.		बेबी वॉकर	8.		ब्रीफकेस
3.		बल्ला	9.		केक
4.		मोतियों का हार	10.		कैन
5.		साइकिल पम्प	11.		कैरम बोर्ड
6.		ब्लैक बोर्ड	12.		जंजीर

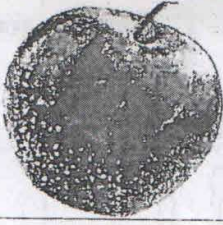
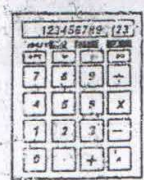
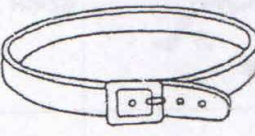
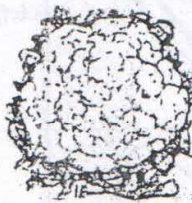
परिशिष्ट-ख

पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के लिए
मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक	क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
13.		चप्पलें	19.		द्वार घंटी
14.		चिमटी	20.		डम्बल्स
15.		कलर ट्रे और ब्रुश	21.		लिफाफा
16.		चारपाई	22.		फुटबॉल
17.		कप और प्लेट	23.		फ्राक
18.		डीजल पम्प	24.		गन्ना किसान

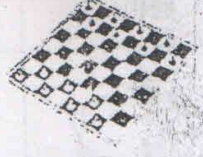
परिशिष्ट-ग

पंचायतों के मुखिया पद के लिए निर्वाचन हेतु 'मुक्त'
निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक	क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
1.		सेब	7.		ब्रेड टोस्टर
2.		गुब्बारा	8.		ब्रुश
3.		बल्लेबाज	9.		कैल्क्युलेटर
4.		बेल्ट	10.		शिमला मिर्च
5.		दूरबीन	11.		फूलगोभी
6.		आदमी व पाल युक्त नौका	12.		चक्की

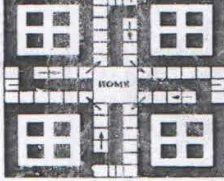
पाराशष्ट-ग

पंचायतों के मुखिया पद के लिए निर्वाचन हेतु 'मुदत'
निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
13.		शतरंज बोर्ड
14.		कोट
15.		कम्प्यूटर
16.		क्रेन
17.		कटिंग प्लायर
18.		डिश एंटीना

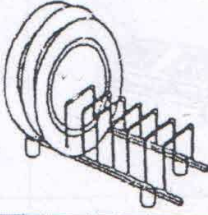
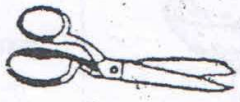
क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
19.		दरवाजे का हैंडल
20.		कान का बालियाँ
21.		एक्सटेंशन बोर्ड
22.		फुटबॉल खिलाड़ी
23.		फ्राईंग पैन
24.		गैस सिलेण्डर

ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के लिए
'मुक्त' निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक	क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
1		गैस का चूल्हा	7.		कटहल
2		काँच का गिलास	8.		भिंडी
3		हरी मिर्च	9.		कुन्डी
4.		टोप	10		लूडो
5.		हेलमेट	11		माचिस की डिब्बी
6		आइस क्रीम	12		नेल कटर

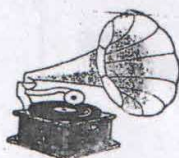
परिशिष्ट-घ

ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य के लिए
मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक	क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
13		कड़ाही	19		प्लेट स्टैण्ड
14		नाशपाती	20		पंचिंग मशीन
15		कलम की निब आत किरणों के साथ	21		अंगुठी
16		पेन्सिल शार्पनर	22		रूम कूलर
17		पेट्रोल पम्प	23		सेफ्टी पिन
18		अनानास	24		कैंची

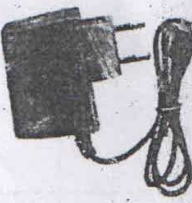
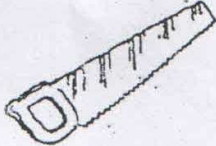
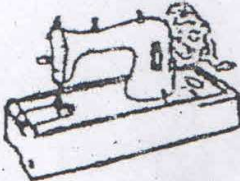
परिशिष्ट-ड

सुरक्षित 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक	क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
1		उपहार	7		केतली
2		ग्रामोफोन	8		लेडी पर्स
3		हाथ गाड़ी	9		लैटर बाक्स
4		हेडफोन	10		लन्च बाँक्स
5		हाकी और बाल	11		माईक
6		पानी गरम करने की रॉड	12		गले की टाई

परिशिष्ट-ड

सुरक्षित 'मुक्त' निर्वाचन प्रतीकों की अनुकृति

क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक	क्र० सं०	अनुकृति	प्रतीक
13.		पैंट	19		हान्डी
14.		मटर	20		रेजर
15.		पैन-स्टैण्ड	21		रोड रोलर
16.		पेन्डुलम	22		रूम हीटर
17.		फोन चार्जर	23		आरी
18.		करनी	24		सिलाई की मशीन